BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. Dated: 13-06-2023

Certified that the existing building **MAR BASELIOS VIDHYA BHAWAN** (name of the building or premises) at **CCET CAMPUS, KAILASH NAGAR INDUSTRIAL ESTATE BHILAI, DURG C.G. 490026** (address) comprised of **GROUND FLOOR** basement(s) and **FIRST FLOOR, SECOND FLOOR** (upper floors) owned/occupied by **MAR BASELIOS VIDHYA BHAWAN** (name of the institution) have complied with the Building Safety requirement in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Reg. STR. ENGG. (Name of Department/ Govt.) on 12-06-2023 (date of inspection) in the presence of **VERY REV. FATHER KURIAN JOHN, KAILASH NAGAR , BHILAI** (name and address of the Manager/ Secretory or his representative) and that the building/premises is fit dfor occupancy up to classes **NURSERY TO XII** (X/XII) with effect from 13-06-2023 for a period of one years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions are appended.

1.

2.

3.

4.

Issued on 13-06-23 at BHILAI by

* Strike out which ever is not applicable

Dinesh Samarth
B.E.(Civil), F.I.V., I.E.I.
F-12517, M-1690013
133/E - BHILAI
124- DURG, 18- RISALI

Signature with Seal: ....

Name: DINESH KUMAR SAMARTH

Designation: STRUCTURE ENGINEER

Reg. STR. ENGG. of Nagar NIGAM BHILAI
Name and Address of Department/ Office: ....

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Department only

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जिला – दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अधीन अनुज्ञप्ति

दिनांक 25/4/2023

क्रमांक 150

—::: संरचना इंजीनियर :::—

वर्ष 2023-24

अनुज्ञप्ति क्रमांक – 133 (SE)

यह अनुज्ञप्ति श्री दिनेश कुमार समर्थ S/o स्व. सीता राम समर्थ, कुरूद भिलाई को संरचना इंजीनियर की अधिकारिता के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर्त्तव्य का पालन करने के लिए जैसा कि छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 में दिया गया है, स्वीकृत की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक 31/3/2024 को समाप्त होगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रूपये 1500=00 रसीद बुक क्रमांक 8675/02 दिनांक 3/4/2023 को अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कर दिया है।

—::: शर्तें :::—

1. अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।
2. अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहगोचर स्थान पर अनुज्ञप्ति की मूल प्रति लगायेगा और सभी समुचित समयों पर निगम भिलाई के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिकारिता रखने वाला प्राधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व उसका नवीनीकरण करायेंगे।
4. अनुज्ञप्तिधारी छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के उपबंध का पालन करेंगे और इस अनुज्ञप्ति के निर्बन्धन के अंतर्गत कार्य करेंगे।
5. अनुज्ञप्तिधारी रेखांक तैयार करने तथा उनके द्वारा किये गये पर्यवेक्षक कार्य संबंधी सभी अभिलेख रखेगा। इस अभिलेख का निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञप्ति कमांक लिखेगा और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
7. यह अनुज्ञप्ति छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 में उल्लेखित शर्तो के अधीन होगी और इन शर्तो में किसी शर्त का भंग होने पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की जाने वाले अन्य विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अनुज्ञप्ति रद्द हो जावेगी।
8. अनुज्ञप्तिधारी की सक्षमता नीचे दिये अनुसार सीमित होगी :–
   संरचना इंजीनियर :– अनुज्ञप्त संरचना इंजीनियर भवन निर्माण आदि की अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिये समक्ष होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिये हकदार होंगे –
   (क) आकार तथा ऊंचाई पर ध्यान दिये बिना ऐसे सभी भवनों के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक की जानकारी।
   (ख) समस्त भवनों के लिये संरचना ब्यौरे एवं संगणनाये।
   (ग) समस्त भवनों के लिये पर्यवेक्षक एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।
   (घ) एक हेक्टेयर तक क्षेत्र के विकास के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी।
   (ङ) एक हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिये पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र।

भवन निर्माण अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

भवन निर्माण अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner